दिनांकः-13.12.2019
अतांरकित प्रश्न संख्याः - 100
प्रश्नकर्ता का नाम - श्री पवन कुमार शर्मा

<table>
<tr><td>क- पिछले तीन वर्षो के दौरान कितनी विधवा पेंशन विभिन्न कारणों से अधिकारियों द्वारा निरस्त कर दी गई, वर्षवार ब्यौरा दें;</td><td colspan="3">निरस्त किये गये आवेदन की कुल संख्या निम्न लिखित है;
<table><tr><th>वर्षवार</th><th>निरस्त किये गये आवेदन की कुल संख्या</th><th>निरस्त के मुख्य कारण</th></tr><tr><td>2016-17</td><td>2515</td><td rowspan="3">1. दिल्ली में 5 वर्ष का प्रमाण न होने के कारण
2. मृत्यु प्रमाण-पत्र न होने के कारण
3. आधार न होने के कारण
4 पर्यवेक्षक रिपोर्ट के अनुसार
5. आर्थिक स्थिति मजबूत होने पर</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>4148</td></tr><tr><td>2018-19</td><td>4345</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>ख- किसी विधवा द्वारा पेंशन के प्रार्थना पत्र वांछित पूर्ण संलग्नकों के साथ जमा कराने के बाद कितने दिनों में पेंशन उसके खाते में पहुँच जाने का प्रावधान है;</td><td colspan="3">यदि आवेदन निरीक्षण के उपरांत सही पाया गया तो 45 दिनों के भीतर इस पर पूरी कार्यवाही की जाती है ।</td></tr>
<tr><td>ग- पिछले तीन वर्षो के दौरान महिला सशक्तिकरण पर कितना धन आंबटित/जारी या उपयोग किया गया, वर्षवार ब्यौरा दें, और</td><td colspan="3"><table><tr><th>वर्षवार</th><th>दिल्ली महिला आयोग</th><th>महिला संरक्षण सेवाएँ</th></tr><tr><td>2016-17</td><td>₹ 10,00,00,000/-</td><td>₹ 90,00,000/-</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>₹ 20,00,00,000/-</td><td>₹ 1,14,00,000/-</td></tr><tr><td>2018-19</td><td>₹ 20,00,00,000/-</td><td>₹ 1,20,00,000/-</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>घ- महिला सशक्तिकरण के संबंध में सरकार द्वारा किये गए, सुधार उपायों का विवरण दें?</td><td colspan="3">महिला सशक्तिकरण के सम्बन्ध में महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ द्वारा किये गए कार्य हेतु <u>संलग्नक 1</u> संलग्न है ।</td></tr>
</table>

Indupreet
इन्दरप्रीत पाठक
उप-निदेशक 13/11/19
आर्थिक सहायता अनुभाग

GD (F&S)
Deptt. of Women & Child Development
Govt. of NCT of Delhi

Scanned by CamScanner

संलग्नक-1

महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ द्वारा निम्न अधिनियम का क्रियान्वयन किया जाता है

1. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
2. दिल्ली महिला आयोग अधिनियम 1994
3. घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005
4. महिलाओ ओर बच्चो के संस्थानो (लाइसेंसिग) अधिनियम,1956
5. महिलाओ का कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013

1. अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956- इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मल छाया आवासीय संस्था का संचालन सन 1988 से किया जा रहा है, 100 महिलाओं की क्षमता के लिये अनुमोदित इस आवासीय संस्था को पूर्णतया अनैतिक व्यापार रोकथाम उन्मूलन अधिनियम के प्रभावी कार्यान्यवन हेतु चयनित किया गया है, और इसे एक सुरक्षात्मक व सुधारात्मक संस्था के रुप में घोषित किया गया है।

   इस अधिनियम के अन्तर्गत मार्च 2019 में इस अधिनियम से सम्बन्धित नीति बनाने हेतु सेमिनार/वर्कशॉप का आयोजन किया गया था जिसमें सभी सम्न्धित विभागों को आमंत्रित कर सुझाव मांगे गये थे।

2. दिल्ली महिला आयोग अधिनियम 1994 - इस आयोग का पुनर्गठन विभाग द्वारा इसके पूर्व कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात दिनांक है 28 जुलाई 2019 में किया गया है। दिल्ली महिला आयोग द्वारा, महिला सशक्तिकरन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं -
   - बलात्कार पीड़िता सहायता प्रकोष्ठ
   - सहयोगिनी
   - महिला पंचायत
   - परामर्श केंद्र (मनोवैज्ञानिक एंवम कानूनी सलाह)
   - संकट हस्तक्षेप केंद्र
   - मोबाइल वैन हेल्पलाइन.
   - 181 हैल्पलाइन

3. घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005- इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण के कार्य के सफल क्रियान्वन हेतु सुरक्षा अधिकारीयों की नियुक्ति की गई है जिनका कार्य इस अधिनियम के तहत घरेलु घटना विवरणिका बनाना है. वर्तमान मै इनकी संख्या 17 है।
4. महिलाओ ओर बच्चो के संस्थानो (लाइसेंसिग) अधिनियम,1956:- इस अधिनियम के अन्तर्गत विभाग द्वारा संकट में फंसी हुई महिलाओं हेतु शेल्टर होम के संचालन हेतु गैर सरकारी संगठनों को लाइंसेस दिया गया है जिनका विभाग द्वारा समय समय निरीक्षण किया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत 9 गैर सरकारी संगठनो को लाइसेस दिया गया है
5. महिलाओ का कार्यस्थल पर लैगिक उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 - इस अधिनियम के तहत इस विभाग द्वारा सभी सरकारी एवं प्राइवेट कार्यालयो एवं संस्थानों में आतंरिक समिति के निर्माण किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जिला अधिकारी के रूप मे मनोनीत किया गया है जो अधिनियम की धारा 06 के तहत स्थानीय शिकायत समिति का गठन करेगा जो लैगिक उत्पीडन की उन शिकायतो

Scanned by CamScanner

को प्राप्त करेगी जहॉ 10 कर्मचारियो से कम होने के कारण आन्तरिक शिकायत समिति का गठन नही किया गया है अथवा अगर शिकायत स्वयं नियोक्ता क विरूद् हो।

अधिनियम में निहीत आंतरिक समिति एंव स्थानीय शिकायत समिति के सम्बन्ध में जन चेतना एवं जागरूकता हेतु इस विभाग द्वारा 17.10.2019 को हिन्दी , अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषाओं वाले अखबारों में जनसूचना का प्रकाशन किया गया था।

उक्त अधिनियम के अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ द्वारा निम्न गर्भवती एंवम स्तनपान कराने वाली (निराश्रित) महिलाओ हेतु आश्रय गृहो, मिहला छात्रावास एवं महिलाओ हेतु प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जा रहा है :-

1. गर्भवती एंवम स्तनपान कराने वाली (निराश्रित) महिलाओ हेतु आश्रय गृहो :- गर्भवती एंवम स्तनपान कराने वाली (निराश्रित) महिलाओ हेतु आश्रय गृहो का संचालन विभाग द्वारा गैर सरकारी संगठन YWCA के माध्यम से किया जा रहा है इन् संस्थाओं मे निराश्रित गर्भवती महिलाओं के साथ -साथ बलात्कार पीड़िता गर्भवती महिलाएं जिन्हे पुनर्वास की आवश्यकता है को भी आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है. वर्तमान मे ऐसी दो संस्थाएं हैं :-
   क. मातृत्व छाया, सामुदायिक भवन ए ब्लॉक, जांहगीर पूरी दिल्ली .
   ख. मातृत्व छाया, सामुदायिक भवन, चन्द्र शेखर आज़ाद कालोनी, सराय रोहिल्ला दिल्ली.

2. कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास ;- दिल्ली मे कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित व घर जैसा वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा कामकाजी महिला छात्रावास- प्रियदर्शनी छात्रावास विश्वास नगर की स्थापना की है. इन् छात्रावासों की देखभाल की जिमेदारी सरकार द्वारा यंग वीमेन क्रिस्टियन एसोसिएशन को दी गयी है.
3. महिलाओं हेतु प्रशिक्षण केन्द्र :- महिलाओं को आजीविका व इससे सम्बिन्धत कौशल प्रदान करने के उदेश्य से विभाग द्वारा जहॉगीरपुरी, मंगोलपुरी ,सेवक पार्क में महिलाओं हेतु प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न प्रशिक्षण कलाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इनके अतिरिक्त एनएसडीसी के सहयोग से सुदंरनगरी एवं मादीपुर में महिला प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु जेंडर बजटिगं पर वर्कशाप एवं ट्रेनिग का आयोजन 6 मार्च 2019 को किया गया था। साथ ही महिला दिवस के उपलक्ष पर 8 मार्च 2019 को महिला दिवस का आयोजन किया गया है ।

Scanned by CamScanner